आयोजनेत्तर

६७२
संख्या– /III (2)/07–08(बजट)/2007

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्याकी
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर 1
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून, दिनॉक 25 अप्रैल, 2007

विषयः– वर्ष 2007–08 मे लेखानुदान में प्राविधानित सरकारी आवासीय भवनों के अनुरक्षण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–80/52 बजट(आ.भ.अनु.)/07–08 दिनांक 03.04.07 के सन्दर्भ मे एवं वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–255/XXVII(1)/07 दिनांक 26.3.07 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 मे सरकारी आवासीय भवनों का अनुरक्षण 29–सामान्य मरम्मत मे लेखानुदान मे प्राविधानित रू0 5667 हजार तथा विशेष मरम्मत के अर्न्तगत 25–लघु निर्माण कार्य हेतु लेखानुदान मे प्राविधानित रूपये 1667 हजार एवं 29–अनुरक्षण हेतु लेखानुदान में प्राविधानित रूपये 333 हजार (आयोजनेत्तर) **अर्थात कुल रू0 7667 हजार (रू0 छिहत्तर लाख सड़सठ हजार मात्र)** की धनराशि को संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का साख सीमा के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा, यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू एवं निर्माणाधीन योजनाओं पर ही किया जायेगा कार्यवार आबटित धनराशि के उपयोग की सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी, विगत वर्ष स्वीकृत समस्त धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं उसकी वित्तीय/भौतिक प्रगति के विवरण देने के उपरान्त ही आहरण किया जायेगा।

3. लोक निर्माण विभाग की दरों पर मरम्मत कार्य के आगणन गठित करने के उपरान्त तद्‌विषयक मानकों के अनुसार सक्षम स्तर से स्वीकृति के बाद ही लिए जायेगे। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य की पूर्वानुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाय।

4. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्कता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–2 विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। किसी भी दशा मे निर्धारित मानक की सीमा से अधिक व्यय नही किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि का कार्यवार आबटन कर वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.08 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

ह0/–

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि के विपरीत मासिक व्यय का विवरण एवं कार्य की लागत व भौतिक प्रगति का विवरण मासिक रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के लेखानुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक 2216-आवास 01 सरकारी रिहायशी भवन (मतदेय) आयोजनेत्तर-700-अन्य आवास-04 सरकारी आवासीय /अनावासीय भवनों का अनुरक्षण 01-सामान्य मरम्मत तथा 02 विशेष मरम्मत के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त अनुभाग 2 के अशासकीय संख्या यू.ओ. 29 /XXVII(2)/2007 दिनांक 13.अप्रैल,2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्याकी)
अपर सचिव।

संख्या- 672 (1)/ ।।। (2)/07 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराखण्ड,देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल, कुमायूं मण्डल पौड़ी/ नैनीताल।
3. श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त बजट अनुभाग।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5. समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. मुख्य अभियन्ता गढ़वाल / कुमाऊ क्षेत्र लो.नि.वि./पौड़ी/ अल्मोड़ा।
7. वित्त अनुभाग 2/ वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, देहरादून।
9. लोक निर्माण अनुभाग 1/3
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

शासनादेश सं0 — 692 / III-2/07-08(बजट)/2007 दिनांक 25 अप्रैल, 2007 का संलग्नक।

अनुदान संख्या 22
लेखाशीर्षक 2216 आवास
2216 01 700 04 सरकारी आवासीय /अनावासीय भवनों का अनुरक्षण (आयोजनेत्तर)
0401 –सामान्य मरम्मत

कम संख्या	मद संख्या	आबंटन (हजार रू0 में)
01	29 अनुरक्षण	5667
	योग:— 0401	5667
		(रू0 छप्पन लाख सड़सठ हजार मात्र)

2 अनुरक्षण 22 लेखाशीर्षक 2216 आवास
2216–01–700 04 सरकारी आवासीय /अनावासीय भवनों का अनुरक्षण विशेष मरम्मत ।
0402– विशेष मरम्मत

कम संख्या	मद संख्या	आबंटन (हजार रू0 में)
01	25- लघु निर्माण कार्य	1667
02	29- अनुरक्षण	333
	योग:— 0402	2000
		(रू0 बीस लाख मात्र)
	महायोग:— 0401, 0402	7667
		(रू0 छिहत्तर लाख सड़सठ हजार मात्र)

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।